कार्यालय, जिला पंचायत रायपुर (छ.ग.)

//प्रेस विज्ञप्ति//

क्रमांक/ 8220 /जि.पं./प्रमंआयो(ग्रा)/2018 रायपुर, दिनांक 1-2-018

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तहत आवास मित्र) पद हेतु विज्ञापन जारी करने के संबंध में

अपर मुख्य सचिव छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नया रायपुर का पत्र क्रमांक 15/अमुस/पंग्राविवि/2017 दिनांक 07/01/2017 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 8215/PMAY-G /जि.पं./2018 रायपुर, दिनांक 01.02.2018 के तहत प्रधानमंत्री आवास– (ग्रामीण) योजना हेतु प्रत्येक 100 हितग्राहियों के लिये कलस्टर में एक आवास मित्र (अधिकतम 1 वर्ष के लिये) नियुक्ति की जानी है। इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक **15.02.2018** तक सायं. 5.30 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/स्वंय द्वारा भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर के पते पर सम्पूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारुप मे आमंत्रित किये जाते है ।

आवेदन पत्र का प्रारुप, नियम एवं शर्ते जिला पंचायत रायपुर के सूचना पटल एवं वेबसाइट **www.raipur.gov.in** में देख सकते है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायपुर

कार्यालय जिला पंचायत रायपुर (छ0ग0)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

क्रमांक /8215/ PMAY-G / जि.पं. / 2018 रायपुर, दिनांक 1/2/018

अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 15/अमुस/पं.ग्रा.वि.वि./2017/07.01.2017 के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु प्रत्येक 100 हितग्राहियों के लिये कलस्टर में एक **आवास मित्र** (अधिकतम 1 वर्ष के लिये) की नियुक्ति की जानी है। इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक **15.02.2018** तक सायं 5.30 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/स्वयं द्वारा भी **"मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , रायपुर"** के पते पर सम्पूर्ण योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप मे आमंत्रित किये जाते है–

क्रं.	पद का नाम	पदों की संख्या	प्रोत्साहन राशि	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	मेरिट हेतु अंक निर्धारित
1	आवास मित्र	81	प्रति पूर्ण आवास के मान से 1000.00 (एक हजार रूपये)	बीई./डिप्लोमा/12वीं उत्तीर्ण युवा अभ्यर्थी (बी0ईसिविल/डिप्लोमा/सिविल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन में प्राथमिकता दी जावेगी इसके पश्चात् शेष अभ्यर्थी के नामों पर विचार किया जावेगा।)	1.हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्राप्त अंकों का 75 प्रतिशत बी0ई./डिप्लोमा का 25 प्रतिशत

आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम एवं शर्ते जिला पंचायत रायपुर के सूचना पटल एवं वेबसाइट www.raipur.gov.in में देख सकते है।

नियम एवं शर्तेः–

1. आवेदन पत्र बंद लिफाफे में **"मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर"** के कार्यालय में **पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप में भी**/के माध्यम से पते पर **दिनांक 15.02.2018 को सायं 5.30 बजे** प्राप्त हो जाना चाहिये। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार किये जायेंगे। लिफाफे पर आवेदित पद का नाम एवं वर्ग आवश्यक रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिये। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।
2. परिस्थितिवश एवं आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि अथवा विज्ञाप्ति निरस्त की जा सकती है। जिसके लिये किसी प्रकार का दावा/वाद मान्य नहीं किया जायेगा तथा यह अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
3. दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में आवास मित्र हेतु अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।
4. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिये आवेदन कर सकेंगे।
6. चयनित अभ्यर्थियों को उनके गृह ग्राम के कलस्टर पर नियुक्त किया जावेगा। अभ्यर्थी न मिलने पर समीपस्त कलस्टर में सेवा ली जावेगी।

7. आवेदक को रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। जिसमें न्यूनतम योग्यता के आधार पर आवेदक पंजीकृत हो। संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें।
8. आवास मित्र की सेवा अवधि उनके प्रभार के कलस्टर के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवास पूर्ण होने तक या अधिकतम 01 वर्ष के लिये होगी।
9. आवास मित्र के लिये कार्य प्रारंभ करने की अवधि की गणना आवास स्वीकृत होने के साथ ही कि जावेगी। जो अधिकतम 01 वर्ष होगी।
10. यदि कोई आवास मित्र संबंधित कलस्टर के अपने प्रभार के ग्राम पंचायतों में निर्मित होने वाले आवाास को छःमाह में पूर्ण करा लेते है तो उन्हें मानदेय कैं अतिरिक्त प्रति आवास पर **200** रूपये का प्रोत्साहन राशि पृथक से प्रदान किया जावेगा।
11. अपूर्ण/स्पष्ट एवं त्रृटि पूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
12. लिफाफे के उपर उपर पदनाम एवं जनपद पंचायत का नाम लिये आवेदन किया जा रहा है का स्पष्ट उल्लेख किया जावे अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
13. आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री रियायती दर पर उलपब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत से समंवय करना होगा।
14. चयनित आवास मित्र को हितग्राही तथा जनपद पंचायत के मध्य समवंय करना होगा।
15. आवास निर्माण के जपनद पंचायत को प्रतिवेदन करना एवं आवास साफ्ट में करना होगा।
16. 09 माह या अधिकतम 01 वर्ष की समय–सीमा में आवास पूर्ण कराना होगा।
17. चयनित आवास मित्र के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संबंध में शासन–प्रशासन द्वारा जारी आदेश/निर्देशों को पालन करने के लिये बाध्य होगा।
18. **उक्त पद का कार्य मात्र सेवा प्रदायक है।यह कोई स्थायी/अस्थायी पद नहीं है।**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायपुर

8215
पृ.क./ 8215 / PMAY-G /जि.प./2018 — रायपुर, दिनांक 01-2-018
प्रतिलिपिः–
1. अपर मुख्य सचिव छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) विकास आयुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, रायपुर सादर सूचनार्थ।
4. जिला रोजगार अधिकारी जिला रायपुर को सूचनार्थं।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं शासन के वेबसाइट में प्रकाशित करने हेतु पालनार्थ
6. जिला जनसंपर्क अधिकारी को प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित करने हेतु पालनार्थ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आरंग/अभनपुर/धरसींवा/तिल्दा को आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायपुर

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजनांतर्गत जिला पंचायत रायपुर द्वारा विज्ञप्ति पदो के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

अभिप्रमाणित नवीनतम फोटो चिपकाएं

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत – रायपुर

1. आवेदित पद का नाम : ....
2. आवेदक का नाम : ....
3. पिता/पति का नाम : ....
4. वर्ग (अना./अजा/अजजा/अपिवर्ग) : ....
5. लिंग (पुरूष/महिला) : ....
6. जन्म तिथि : ....
7. आयु (01.01.2018 की स्थिति में) : वर्ष ———— माह ———दिन ———
8. स्थायी पता : ....
....
....
9. पत्र व्यवहार का पता : ....
....
....
10. दूरभाष क्रमांक (यदि कोई हो) : ....
11. शैक्षणिक योग्यता (स्पष्ट अक्षरों में पूरा लिखें) :

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	वर्ष	परीक्षा परिणाम				बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
			पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी	

12 अनुभव– संस्था का नाम —————————— पद का नाम ——————

अनुभव की अवधि –	
अनुभव का कार्यक्षेत्र –	

13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक ....
रोजगार कार्यालय का नाम ....

टीप – जाति, मूलनिवासी, जन्मतिथि, रोजगारा पंजीयन, शैक्षणिक योग्यता अन्य चाही गई योग्यता अनुभव/अनापत्ति, व्यावसायिक योग्यता, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रो की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।

घोषणा पत्र

मै घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सभी जानकारी मेरे विवेक से पूर्णतः सत्य है । इसमें से कोई जानकारी गलत/असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा , तथा मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी । इन परिस्थितियों में नियुक्तिकर्ता अधिकारी को बिना बताये मेरे आवेदन/चयन /नियुक्ति को निरस्त करने अधिकार होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा ।

स्थान ———

दिनांक ———

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम व पता)

संलग्न प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की सूची

1. ——————————
2. ——————————
3. ——————————
4. ——————————
5. ——————————
6. ——————————